

(SSC GD 2024)

अवसर बेंच

Polity


Class-08

अनु-51, क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India - संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें; abide by the constitution and respect its ideals, institutions, the national flag and the national Anthem;

• स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने उच्च आदर्शों को हृदय में संजोर रखें और उनका पालन करें; Cherish and follow the high ideals which inspired our national movement for freedom;

• भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। To protect and preserve the sovereignty, unity and integrity of India.

• देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। to defend the country and render national service when called upon to do so;



## Rojar with Ankit

(ड.) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें जो धर्म, भाषा, और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं; To promote among all the people of India the spirit of harmony and equal brotherhood transcending all distinctions based on religion, language, region or class and to abandon practices which are derogatory to the dignity of women.

## Rojar with Ankit

शाइचारा, अदभाव सगात, इस्त्रयां का सम्मान  
हगारी सागरिक संस्कृति (composite culture) की  
गीश्वरानी परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण  
करे; Understand the importance of the glorious  
tradition of our composite culture and preserve  
it;

संस्कृति  
(culture)

प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी  
और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन  
करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे; Protect  
and enhance the natural environment, which includes  
forests, lakes, rivers and wildlife, and be  
compassionate towards all living creatures;

पर्यावरण → सुरक्षा

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार  
की भावना का विकास करे; develop scientific  
outlook humanism and the spirit of inquiry  
and reform;

(अ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से  
दूर रहे; 8

(अ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों  
में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें,  
जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई  
ऊँचाइयों को छू ले। Safeguard public property  
& abjure violence; (b) strive continuously towards  
excellence in all spheres of individual and  
collective activity, so that the nation may constantly  
rise and touch new heights of achievement.

## Rojar with Ankit

(द) 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता-पिता और प्रतिपालक के संघर्ष, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। \* (इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। Parents and guardians of children between the ages of 6 and 14 years shall provide them with opportunities for education. \* (This duty was added by section 4 of the 86th constitutional Act, 2002.)

Art. 21 (A)

F.O. => 11वाँ कर्तव्य

लागू => 1 April 2010

### संघीय कार्यपालिका

### The Union Executive

संविधान का भाग-5, संघ (The union) से संबंधित है।  
Part-5 of constitution deals with the Union.

### कार्यपालिका (executive)

→ कार्य (function) => कानूनों की लागू करना  
execute of the law's

### ② राज्य कार्यपालिका state executive

#### संघीय कार्यपालिका

→ Part-5  
(भाग)

**Art. 52-78**

- राष्ट्रपति (President)
- उपराष्ट्रीयपति (Vice-president)
- मंत्रीपरिषद् (Council of ministers)
- प्रधानमंत्री (Prime minister)
- Attorney General (महान्यायाधीश)

Art. 52 => भारत के एक राष्ट्रपति होंगे।

There shall be a president of India

\* अनुच्छेद 52-78 संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचन करता है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद् तथा भारत के महान्यायाधी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।

Art. 52-78 discuss about the federal executive. Under this, provisions related to the president, Vice-president, prime minister, Council of Minister and Attorney General of India have been given.

\* कार्यपालिका, विधायिका, एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के तीन आधार स्तंभ हैं। Executive, legislature and Judiciary are the three pillars of Indian democracy.

- ↳ विधायिका
- ↳ कार्यपालिका
- ↳ न्यायपालिका

भारत का राष्ट्रपति (The president of India)

• भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रथम राष्ट्रपति (अनु. 52) है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक (first citizen) होता है।

In India, the head of the federal executive is the president (Art. 52). The president is the 1<sup>st</sup> citizen of the country.

राष्ट्रपति पद (Post)

↳ भारत का सर्वोच्च पद (Highest post of India)

संघीय कार्यपालिका → संवैधानिक या नागरिक प्रथम (Constitutional Head)  
वास्तविक प्रथम (Real Head) → PM  
राष्ट्रपति (President) as normal Head of union executive

## Rojar with Ankit

• संघ की सभी कार्यपालिका व्याप्तता ठरान निहित है; जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या, अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है; अनु-53  
All the executive powers of the union are vested in him, which he exercises either directly or through subordinate officers in accordance with the constitution; Article - 53

अधिकारियों के माध्यम से  
अधीनस्थ अधिकारी  
Art-53 ⇒ संघीय कार्यपालिका  
union executive ⇒ सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। All powers of union executive vested in President, लेकिन प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ

मंत्रीपरिषद् ⇒ प्रधान (Head) ⇒ PM  
राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल  
(Electoral College of the president)

- अनुच्छेद - 54
- (i) संसद के दोनों सदनों (लोक सभा तथा राज्य सभा) के निर्वाचित सदस्य\* तथा (i) Elected members of both the Houses of parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha)\* and  
↓  
elected MP'S  
(निर्वाचित सांसद)
- (ii) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे।  
There will be elected members of the legislative Assemblies of the states.  
↓  
elected MLA'S  
(निर्वाचित विधायक)

## Rojar with Ankit

10 वं संवधान संशोधन (1992) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा 'पुदुचेरी' संघ शासित राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल कर लिया गया है।

By the 70th constitutional Amendment (1992), the elected members of the legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Puducherry have also been included in the electoral college of the president.

Delhi, Puducherry, JK → elected MLA's

→ राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, → Art. 55  
(Manner of election of the president)

राष्ट्रपति का चुनाव 'अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली' द्वारा किया जाता है अनु. 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गयी है।

The president is elected by 'indirect election system'. The method of election of the president is given in Art-55.

- राष्ट्रपति का निर्वाचन "आनुपातिक प्रतिनिधित्वपद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। The election of the president shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote system.
- ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। The voting at such election shall be secret. → secret-voting

## Rojar with Ankit

→ राष्ट्रपति की पदावधि  
(Term of office of the President)

- अनु. 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। According to Art-56, the president holds office for a term of five years from the date on which he assumes office.

Art-56 → कार्यकाल (Term) ⇒ 5 वर्ष (पद ग्रहण दि. से)

- कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।  
He can submit his resignation to the Vice-president at any time.

Q - क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात् पद धारण कर सकते हैं? → हाँ

- जब तक अपना पद धारण किए रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी (नया राष्ट्रपति) अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। He continues to hold office until his successor (the new president) assumes office.

- राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। When the president gives his resignation to the Vice-president, the Vice-president immediately informs the speaker of the Lok Sabha about it.

- अनु. 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन (Re-election) के लिए योग्य है।  
Art-57 states that a person is eligible for re-election to the office of president.

## Rojar with Ankit

एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है।

ex- डा० राजेन्द्र प्रसाद (दो बार भारत के राष्ट्रपति बने)

→ राष्ट्रपति की योग्यताएँ  
(Qualifications of the president)

अनु-58 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ विहित की गई हैं - Under Art-58 the following qualifications have been prescribed for the post of president.

- ① वह भारत का नागरिक है। He should be a citizen of India.
  - ② वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा He has completed 35 years of age, and
  - ③ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। He must be qualified to be elected as a member of the Lok Sabha (लेकिन LS का सदस्य न होना)
- Maximum Age  
अधिकतम आयु ⇒ संविधान द्वारा निश्चित नहीं।

- ④ दिवालिया न हो (Do not insolvent)
- ⑤ लाभ के पद पर न हो  
Do not hold office of the profit  
(सरकारी नौकरी न हो)  
पागल न हो (Do not unsound)

भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी <sup>mind</sup> स्थायी प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य न होगा। A person

## Rojar with Ankit

holding any office of any profit under the Government of India, a state Government or any local authority shall not be eligible for the office of President.

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद नहीं माना जाता है।  
The posts of president, vice-president, Governors of states and Ministers of the union or states aren't considered offices of profit.

- राष्ट्रपति पद के लिए <sup>PM</sup> उम्मीदवार <sup>CM</sup> का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। \* 1997 से पूर्व यह संख्या 10-10 थी। A candidate for the presidency must be proposed by at least 50 voters and seconded by 50 voters. \* Before 1997, the no was 10-10.

- राष्ट्रपति पद के लिए जमानत <sup>प्रस्तावक (Proposers) => 50</sup> अनुमोदक <sup>(seconders) => 50</sup> की राशि 15000 ₹ है। The security deposit for the post of president is Rs. 15,000.

MPS/MLA  
↓  
elected

15000 ₹  
→ जमा RBI

Q = जमानत राशि कब जप्त होती है? → seized

total valid votes  $\times \frac{1}{6}$  अगर प्राप्त कुल वैध मतों का  $\times \frac{1}{6}$   $\Rightarrow$  नहीं होगा तो जमानत

शशि जप्त हो जायगी।

Q = राष्ट्रपति निवचन जीतने के लिए कितने वोट चाहिए ?

↓  
कुल वैध मतों 50%+

total valid votes 50%+  
ex - 20,000  $\times$  50% + 1

## Rojar with Ankit

- किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का  $\frac{1}{6}$  भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है। If a candidate fails to secure  $\frac{1}{6}$ th of the total valid votes, his security deposit is forfeited.

Art-59 => राष्ट्रपति => संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं

MP X  
MLA X  
MLC X

अगर MP/MLA/MLC ही तो ?  
↓  
तो फिर जिस दिन वह राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेगा उस दिन उसका पद उस सदन में जिसका वह सदस्य है, रिक्त समझा जाएगा।

- राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निवचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन में रिक्त समझा जाएगा। The president shall not be a member of

any House of parliament or state legislature. If he has a member of these before the election, then his seat in that House shall be deemed to be vacant from the date of assuming office.

- राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। The president can't hold any other office during his term.

## Rojar with Ankit

- राष्ट्रपति की परिकल्पनाओं से शर्तें → Art. 59  
(The emoluments and allowances of the President)
  - संसद विधि द्वारा नियत करें Parliament may by law determined → निश्चित
  - राष्ट्रपति का वेतन भारत की संविधान विधि से दिया जाता है, जो आयकर से मुक्त होता है।  
The President's salary is paid from the consolidated fund in India, which is exempt from income tax
- 5 लाख रु० / Per month

→ राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा  
(Oath or affirmation by the President)

अनु० 60 ⇒ शपथ

↓  
राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Supreme Court) दिलाते हैं।